



लॉगिन  
उपयोगकर्ता: 1817892529

## लाभ की पात्रता

Language/भाषा:

हिन्दी

बीमाकृत व्यक्ति संख्या	1817892529	बीमाकृत व्यक्ति का नाम	PRIYANKA JATIN MEENA
अवधि	वर्तमान अवधि	दिनांकित पर रिपोर्ट की गई	29/03/2024 09:07:50 Hrs

### हितलाभ अवधि पात्रता

हितलाभ की अंतिम तिथि	हितलाभ की अंतिम तिथि	कुल मजदूरी	कुल कार्य दिवस भुगतान / देय	अंशदान अवधि से	अंशदान अवधि तक
01 Jan 2024	30 Jun 2024	0.00	0	01 Apr 2023	30 Sep 2023

### ईएसआईसी लाभ के लिए पात्रता

लाभ प्रकार	पात्रता की स्थिति	लाभ के लिए अपात्रता के संभावित कारण यदि पात्रता के स्थिति नहीं है
चिकित्सा लाभ	हाँ	IP / IW बीमा योग्य रोजगार में नहीं हैं और अंशदायी शर्तों को संगत अंशदान अवधि में पूरा नहीं किया गया है।
मातृत्व लाभ	नहीं	*IW नहीं है। * EDD / डिलीवरी की तारीख पर 9 महीने का बीमा योग्य रोजगार। * 2 पूर्ववर्ती अंशदान अवधि में 70 दिनों से कम का अंशदान।
अस्वस्थता लाभ	नहीं	*नियुक्ति आरएसटी नियुक्ति की तारीख से 9 महीने से कम का बीमा योग्य रोजगार * संगत योगदान पेनोड में 78 दिनों से कम का योगदान। * यदि किसी अंशदान अवधि में पहली बार बीमा योग्य रोजगार में प्रवेश किया और इस छोटी अंशदान अवधि में आधे से कम दिनों के लिए अंशदान दिया।
विस्तारित बीमारी लाभ	नहीं	*सूचीबद्ध 34 बीमारियों में से कोई भी पीड़ित नहीं है। * दो साल से कम लगातार बीमा योग्य रोजगार। * चार अंशदान अवधि (दो वर्ष) में 156 दिनों से कम अंशदान दिया गया। * चार पूर्ववर्ती अंशदान अवधि में से किसी एक में SB के लिए हकदार नहीं है।
संवर्धित बीमारी लाभ	नहीं	अस्वस्थता लाभ के लिए पात्र नहीं
बीमाकृत व्यक्ति के लिए सुपर स्पेशलिटी	नहीं	*पंजीकरण की तारीख से छह महीने की सेवा पूरी नहीं की। *अंशदान अवधि में 78 दिनों से कम का योगदान।
परिवार के लिए सुपर स्पेशलिटी	नहीं	* पंजीकरण की तारीख से सेवा का एक वर्ष पूरा नहीं हुआ। * दो अंशदान अवधि में से प्रत्येक में 78 दिनों से कम का अंशदान।
अस्थायी विकलांगता लाभ	हाँ	ईएसआई अधिनियम के अनुसार रोजगार चोट या व्यावसायिक रोग के कारण अक्षमता।
अस्थायी विकलांगता लाभ	हाँ	ईएसआई अधिनियम के अनुसार रोजगार चोट या व्यावसायिक रोग के कारण अक्षमता।
आश्रित लाभ	हाँ	बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु ईएसआई अधिनियम के अनुसार रोजगार चोट या व्यावसायिक रोग के कारण नहीं है।
आर.जी.एस.के. यो.	नहीं	*आईडी अधिनियम के तहत छंटनी के कारण बीमा योग्य रोजगार के नुकसान की तारीख पर एक आईपी / आईडब्ल्यू नहीं, आईडी अधिनियम के तहत कारखाने / प्रतिष्ठान को बंद करना या गैर-रोजगार की चोट से उत्पन्न 40% से कम नहीं की स्थायी अमान्यता। * रोजगार के नुकसान से पहले तीन वर्ष से कम (एक वर्ष = 156 दिन) का भुगतान / देय।

\* सूची विस्तृत नहीं है। अधिक जानकारी के लिए कृपया नजदीकी शाखा कार्यालय या [www.esic.nic.in](http://www.esic.nic.in) पर जाएं। यहां दिखाई गई पात्रता की स्थिति आज की तारीख में है और आगे मेडिकल सर्टिफिकेट और / या अन्य शर्तों के अधीन है।

## The eligibility shown here based on the circular number V-14/11/6/2018/Med.I Misc dated 11.03.2021

# Eligibility shall be subject to decision/discretion of the treating clinician.

निरस्त करें